न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न सख्या : 16 / 2011

जमालूददीन पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल जिला बारां ......प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री दयाकृष्ण धाकड

निर्णय दिनांक : 07.06.2018

दायरा दिनांकः 17.11.2011

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी को साबिक खसरा नं0 28 / 2 रकबा 3 बीघा भूमि दिनांक 22.06.1989 को नियमन हुई थी जिसके हाल खसरा नं0 4807 रकबा 0. 48 है0 भूमि है जिसका नामांतकरण सं0 63 पर दर्ज है। फिर भी प्रार्थी को आज दिनांक तक जमाबंदी में गैरखातेदार दर्ज नही किया गया है। अतः प्रार्थी को खसरा नं0 4807 रकबा 3 बीघा पर जमाबंदी में इंतकाल दर्ज कर गैरखातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 17.11.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक / भू0अ0 / 2016 / 1086 दिनांक 24.08.2016 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम सीसवाली में नामांतकरण संख्या 63 दिनांक 29.12.1998 से खसरा नं0 4807 रकबा 0.48 है0 पर जमालुददीन पुत्र अब्दुल लतीफ जाति मुसलमान निवासी सीसवाली गैर खातेदार दर्ज अलोटी जमालुददीन को मिसल नं0 452 से दिनांक 22.06.1989 को खसरा नं0 2812 की 3 बीघा भूमि नियमन हुई थी मुताबिक हाल जमाबंदी खसरा नं0 4807 रकबा 0.20 है0 भूमि खातेदार उमर दराज अब्दुल

इब्राहिम अली पुत्र हारून वगै0 के खाते दर्ज मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 रकबा 0.68 है0 के साबिक खसरा नं0 2812 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा खसरा नं0 4807 का रकबा 0.68 है0 दर्शा रखा है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बरान का रकबा 0.20 है0 दर्ज है। शेष रकबा 0.48 है0 का कही भी वर्तमान रेकार्ड में इन्द्राज नही है। जबकि आवंटी द्वारा प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 63 से आवंटी जमालुद्दीन पुत्र अब्दुल लतीफ गैरखातेदार दर्ज हुआ है सेटलमेंट बंदोबस्त एवं वर्तमान जमाबंदी का कुल क्षेत्र मिला हुआ है अतः इंतकाल से शेष रकबे का अमल नही हुआ।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम सीसवाली के खसरा नं0 4807 रकबा 3 बीघा पर जमाबंदी में इंतकाल दर्ज कर गैरखातेदारी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की मुताबिक हाल जमाबंदी खसरा नं0 4807 रकबा 0.20 है0 भूमि खातेदार उमर दराज अब्दुल लतीफ इब्राहिम अली पुत्र हारून वगै0 के खाते दर्ज मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नं0 4807 रकबा 0.68 है0 के साबिक खसरा नं0 2812 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा खसरा नं0 4807 का रकबा 0.68 है0 दर्शा रखा है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बरान का रकबा 0.20 है0 दर्ज है। जो प्रार्थी को दिये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष रकबा 0.48 है0 का कही भी वर्तमान रेकार्ड में इन्द्राज नही है। जबकि आवंटी द्वारा प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 63 से आवंटी जमालुद्दीन पुत्र अब्दुल लतीफ गैरखातेदार दर्ज हुआ है सेटलमेंट बंदोबस्त एवं वर्तमान जमाबंदी का कुल क्षेत्र मिला हुआ है अतः इंतकाल से शेष रकबे का अमल नही होने से प्रार्थी का किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता अतः पत्रावली ड्रोप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली मजमेंआम में सुनाया गया।